



**प्रेस नोट      पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद      दिनांक 15.10.2026**

**थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को पीसीआर पर लेकर हत्या के प्रयास में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया।**

दिनांक 06.10.2026 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे वादी के भाई के पेट में बायीं तरफ गोली लगना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल धारा-109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गई। उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1. रोहित राठी पुत्र हरपाल राठी निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 2. अमन उर्फ मुर्गा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया।

आज दिनांक 15.10.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. रोहित राठी 2. अमन उर्फ मुर्गा को पीसीआर पर लेकर इनकी निशांदाही से हत्या के प्रयास में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### पूछताछ का विवरण—

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अभियुक्त रोहित राठी द्वारा बताया कि राजू राठी जो कि रिश्ते में भाई है जिससे हमारा लगातार घरेलू विवाद चला आ रहा था। घटना के दिन भी हमारे घर में सरिया, रेत डालकर काम कर रहा था। मेरे द्वारा टोका गया तो मेरे साथ गाली गलौज पर उतारू हो गया मैंने मना किया लेकिन नहीं माना मेरी उसके साथ कहासुनी हो गयी फिर मैंने अपने दोस्त अमन उर्फ मुर्गा को बुलाया तथा गुस्से में आकर राजू राठी को जान से मारने की नियत से उस पर पिस्टल से फायरिंग की तथा अमन उर्फ मुर्गा द्वारा तमंचे से फायर किया गया परन्तु उसकी गोली नहीं चल पायी। आज हमारी निशांदाही पर जो पिस्टल व तमंचा बरामद हुए हैं, यह वही है।

#### अभियुक्तों का नाम व पता

1. रोहित राठी पुत्र हरपाल राठी निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष
2. अमन उर्फ मुर्गा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

#### बरामदगी का विवरण —

01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

#### आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना निवाडी पर मारपीट/आर्म्स एक्ट के संबंध में 01 अभियोग व 01 अभियोग छेड़खानी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

#### कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

### **थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 10.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा वादी की दो नाबालिग पुत्रियों (उम्र करीब 07 व 06 वर्ष) का पीछा करना, प्रलोभन देकर छेड़छाड़ करना व पूछने पर अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 78/352 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया एवं उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा- 7/8 पॉक्सो एक्ट के स्थान पर धारा- 9m/10 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 15.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र मण्डौला से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

#### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैं नशे में शाम को मौहल्ले में घूम रहा था, नशे में होने के कारण मैंने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक कुमार पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

#### आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट एवं घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 14.10.2026 को ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त रवि पुत्र लक्ष्मी कोडा राव निवासी म0नं0 54 कस्तूरबा ग्राम ताहिरपुर दिल्ली उम्र करीब 37 वर्ष को महाराणा प्रताप चौक के पास शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 15 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट एवं घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त रवि के विरुद्ध धारा 8/15/29/60 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्त रिकू की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित कर लगातार प्रयास जारी है ।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त रवि उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं रिकू पुत्र रमेश निवासी एफ-262 शहीदनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के लिये काम करता हूँ । रिकू ने ही उक्त माल को मेरी गाड़ी में रखा था और मुझसे कहाँ कि गाजियाबाद पहुंचकर मुझसे फोन पर सम्पर्क करेगा । मैं पिछले 06 माह से डोडा पोस्ट बदायूं से लाकर गाजियाबाद में रिकू को सुपुर्द कर देता हूँ, उसके बाद रिकू इसमें से कुछ माल ऐसे ही बेच देता हूँ व कुछ डोडा पोस्ट को अपनी घर लगी चक्की में पीसकर ऑन डिमाण्ड एनसीआर के क्षेत्र में सप्लाई कर मुनाफा कमाता है । रिकू मुझे पुरे मुनाफे का 20 प्रतिशत देता है. जिसकी एबज में मैं अपनी गाड़ी से यह माल बदायूं से लाता हूँ पिछले 06 माह से मैं अपनी गाड़ी से तस्करी का कार्य कर रहा हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रवि पुत्र लक्ष्मी कोडा राव निवासी म0नं0 54 कस्तूरबा ग्राम ताहिरपुर दिल्ली उम्र करीब 37 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण:-**

कब्जे से कुल 15 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट एवं घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्त रवि उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

**थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा घर में हुई आभूषणों की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 14.10.2026 को थाना टीला मोड़ पर आवेदक श्री शिवकेश पुत्र श्री घनपाल सिंह निवासी M-19 कृष्णा विहार कुटी थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरे दूसरे फ्लौर पर टाइल पत्थर का काम चल रहा था जिसमें एक मिस्त्री बोबी तथा एक लेबर जयभगवान उसके घर में दिनांक 07.10.2026 से काम कर रहे थे दिनांक 11.10.2026 को समय करीब 7.00 बजे सुबह मेरी पत्नी 1st फ्लौर के कमरे में रखी अलमारी की लोकर की चाबी जल्दबाजी में लगी छोड़ गई ओर ग्राउण्ड फ्लौर पर जाकर घर का काम करने लगी। इसी बीच मैं और मेरा भाई दीपक किसी काम से बाहर गए हुए थे 1st फ्लौर पर कोई नहीं था, तभी मिस्त्री और लेबर 2nd फ्लौर पर काम कर रहे थे। दिनांक 12.10.2026 की सुबह मेरी पत्नी ने अलमारी का लोकर खोलकर देखा तो उसमें रखी हुई ज्वैलरी जिसमें 01 सोने की कंठी, 02 सोने की अंगूठी, 01 सोने का ओम, 01 सोने की हाथ, 01 सोने का मंगलसूत्र, 02 जोड़ी चांदी की पायल भारी, 01 चांदी की तगड़ी, 01 गुच्छा चांदी, 04 जोड़ी बच्चों के हाथ के कड़े लगभग 200 gm टूटी हुई पुरानी चांदी, 01 चांदी बाजूबंद, एक हथफूल गायब थे। मुझे शक है कि यह ज्वैलरी का समान मिस्त्री बोबी व मजदूर जयभगवान के द्वारा चोरी किया कर लिया गया है।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर अन्तर्गत धारा 305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस की मदद से चेकिंग के दौरान उक्त चोरी की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त जय भगवान पुत्र भागमल निवासी हाल पता पीपल वाली गली कली राम विहार कुटी थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद मूल पता म0नं0 48 गली नं0 02 मनोज त्यागी वाली गली मंडोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 38 वर्ष को कुटी ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषण 01 कंठी पीली धातु 9.15 ग्राम, 02 अंगूठी पीली धातु 4.70 ग्राम, 01 मंगल सूत्र पीली धातु (मय काले मोती माला) 33.40 ग्राम, 01 ओम पीली धातु 0.6 ग्राम, 01 हाथ पीली धातु 0.35 ग्राम, कुल वजन पीली धातु 48.2 ग्राम, 01 तगड़ी सफेद धातु 174.8 ग्राम, 04 जोड़ी बच्चों के कंगन सफेद धातु 55.5 ग्राम, 01 गुच्छा सफेद धातु 85.5 ग्राम, 01 हथफूल सफेद धातु 34.5 ग्राम, 01 बाजूबंद 15.17 ग्राम, कुछ टूट फूट की सफेद धातु जिसमें 01 लोकेट मय चैन 22 ग्राम, 02 जोड़ी हल्की पाजेब 102 ग्राम, 03 जोड़ी बिछुआ 18.5 ग्राम, 01 अंगूठी मय सफेद मोती 2.5 ग्राम, 01 छल्ला 1.5 ग्राम,) 02 जोड़ी भारी पाजेब मय घुंघरू सफेद धातु 363.4 ग्राम सभी सफेद धातु का कुल वजन 875 ग्राम बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त जय भगवान के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

जय भगवान पुत्र भागमल निवासी हाल पता पीपल वाली गली कली राम विहार कुटी थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद मूल पता म0नं0 48 गली नं0 02 मनोज त्यागी वाली गली मंडोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 38 वर्ष ।

### **बरामदगी का विवरण:-**

01 कंठी पीली धातु 9.15 ग्राम, 02 अंगूठी पीली धातु 4.70 ग्राम, 01 मंगल सूत्र पीली धातु (मय काले मोती माला) 33.40 ग्राम, 01 ओम पीली धातु 0.6 ग्राम, 01 हाथ पीली धातु 0.35 ग्राम, कुल वजन पीली धातु 48.2 ग्राम, 01 तगड़ी सफेद धातु 174.8 ग्राम, 04 जोड़ी बच्चो के कंगन सफेद धातु 55.5 ग्राम, 01 गुच्छा सफेद धातु 85.5 ग्राम, 01 हथफूल सफेद धातु 34.5 ग्राम, 01 बाजूबन्द 15.17 ग्राम, कुछ टूट फूट की सफेद धातु जिसमें 01 लोकेट मय चैन 22 ग्राम, 02 जोड़ी हल्की पाजेब 102 ग्राम, 03 जोड़ी बिछुआ 18.5 ग्राम, 01 अंगूठी मय सफेद मोती 2.5 ग्राम, 01 छल्ला 1.5 ग्राम,) 02 जोड़ी भारी पाजेब मय घुंघरू सफेद धातु 363.4 ग्राम सभी सफेद धातु का कुल वजन 875 ग्राम

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्त जयभगवान उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी का उक्त अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ।

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 104 ताश के पत्ते (02 गड्डी) व 4160 /- रुपये बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण:-** आज दिनांक 15.10.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शुक्र बाजार रोड पर बनी झुग्गी झोपडी के पास खाली स्थान से जुआ खेलते हुये 04 अभियुक्त 1.आमिल पुत्र कामिल निवासी हाल निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कोटला फूलगढी थाना कोतवाली देहात हापुड उम्र करीब 41 वर्ष, 2. साजिद पुत्र नुरुदीन निवासी शुक्र बाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष, 3. खुशदिल पुत्र अलाउदीन निवासी शुक्र बाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष, 4. अबु तालिब पुत्र अबुल हसन निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 104 ताश के पत्तों (2 गड्डी) व 4160/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी शुक्र बाजार रोड पर बनी झुग्गी झोपडी के पास खाली स्थान पर पुलिस से छिपकर ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हैं, और अपने शौक पूरे करते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. आमिल पुत्र कामिल निवासी हाल निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कोटला फूलगढी थाना कोतवाली देहात हापुड उम्र करीब 41 वर्ष।
2. साजिद पुत्र नुरुदीन निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
3. खुशदिल पुत्र अलाउद्दीन निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
4. अबु तालिब पुत्र अबुल हसन निवासी शुक्रबाजार झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

**कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर दो अपराधियों को दिलाई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विकशन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 15.10.2026 को थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 366/376 भादवि में अभियुक्तगण 1- मानू उर्फ मोनू पुत्र ताराचन्द्र निवासी ग्राम छोटियारा थाना संदेशखली जिला उत्तर-24 पश्चिम बंगाल हाल पता- डूण्डाहेडा

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद 2- साबिर अली उर्फ बब्लू पुत्र शुक्र, निवासी महागुन मोन्टेज साइट झुग्गी झोपडी, विजयनगर गाजियाबाद को, मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं०- 02 गाजियाबाद द्वारा धारा- 376 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक उ०नि० श्री जवाहर लाल तोमर थाना विजयनगर गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा० न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभि०गण द्वारा वादी व उनके पड़ोसी की पुत्रियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना विजयनगर पर दिनांक 09.09.2017 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

**साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 140000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।**

दिनांक 10.06.2026 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक कोशिनंदर निवासी एमएमजी अस्पताल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में धनराशि में से 1,40,000/- रुपये आवेदक को वापस करायी गयी।

### कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक कोशिनंदर के साथ हुए ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन फ्रॉड की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 15.10.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 1,40,000/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर आकर साइबर सैल पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

### कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर कमि० गाजियाबाद